न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 10/19 (ओल्ड नं0 20/2008)

1. रणजीतकौर पत्नी कुलवन्तसिंह जाति रायसिख निवासी चक 12 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....अपीलांट

बनाम

1. गोपालदास, शिवदेवी, संध्यादेवी, कृष्णादेवी, ओमीदेवी, निर्मलादेवी, कमलादेवी , पि0 मंगतू जाति जाट निवासीगण मूहल तहः देहरा जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
2. सरपंच ग्राम पंचायत 17 केवाईडी
3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

..... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री बृजलाल चाहर विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री हंसराज देहडू विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय **दिनांक 06.02.23**

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेशकर जैर अपील आदेश को चुनौती दी गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि अपीलांट ने चक 12 केवाईडी के मु0नं0 115/56 किला नं0 1 ता 12 की 12.00 बीघा भूमि इसके मूल खातेदार के मु0आम गुरदेवसिंह से जरिये रजिस्ट्रर्ड बैयनामा दिनांक 18.02.2008 से 600000/– रुपये अखरे छः लाख रुपये में खरीद की हुई है। मूल खातेदार की तरफ से उसके मु0आम ने अपीलांट के पक्ष में भूमि का बैयनामा पंजीबद्ध करवा दिया और सौदे की पूरी राशि लेकर मौके अपीलांट को कब्जा भी दे दिया तब से लेकर आजदिन तक अपीलांट को कब्जा भी दे दिया तब से लेकर आजदिन तक अपीलांट अपील खरीदशुदा खातदोरी भूमि पर काबिज होकर काश्त रही है। इस सब के बावजूद अपीलांट ने अमलाराज से मिलकर इकतरफातौर अपीलांट को बिना सुनावाई का मौका दिये बिना मौका निरीक्षण, बिना मजमेआम के पढ़कर सुनाये इन्तकाल सं0 145 दिनांक 5.3.2008 दर्ज किया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि ई0नं0 145 दिनांक 5.3.2008 निरस्त किया जावे और अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

सर्वप्रथम अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये रजि0ए0डी0 नोटिस भिजवाए गए। रेस्पोडेन्ट सं0 1 अधिवक्ता श्री हंसराज देहडू, श्री रोहिताश गहलोत, श्री चैनसिंह ने वकालतनामा पेश कर हाजिर आए। बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता अपील मीमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुवे अपील स्वीकार करने का निवेदन किया कि उक्त वादगत भूमि अपीलांट की जरिये बैयनामा खरीद शुदा है इसलिए ई0सं0 145 5.3.2008 निरस्त कर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे। रेस्पोडेन्ट सं0 1 अधिवक्ता दौराने बहस निवेदन किया कि फर्जी मुख्त्यारआम के आधार पर गुरदेवसिंह ने रेस्पो0 सं0 1 के पिता के फौत होने के बाद उस फर्जी मुख्त्यारआम का उपयोग कर बैयनामा पंजीबद्ध करवाया है जिसके विरुद्ध हमने सक्षम न्यायालय सिविल कोर्ट में वाद दायर किया हुआ है जो कि जैरकार है एवं फर्जी मुख्त्यारआम के आधार पर बैयनामा करवाने वाले गुरदेवसिंह वगैरह पर फौजदारी मुकदमा दायर किया गया जिसमें उनको जैल की सजा हुई है और प्रकरण आज भी जैरकार है। इसके अलावा उक्त बैयनामा को निरस्तीकरण का भी प्रकरण सक्षम सिविल न्यायालय में जैरकार है और मृतक के नाम का मुख्त्यारआम का उपयोग कर करवाया गया बैयनामा स्वतः शून्य है इसलिए अपील अपीलांट सिर्फ रेस्पो0 को अनावश्यक परेशान करने की नियत पेश की गई जो कि सारहीन होने के कारण काबिले खारिज है। अतः अपील अपलांट खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम मियाद के प्रार्थना पत्र पर देखा गया जिसमें अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेशकर मियाद कण्डोन ईस्तदुवा चाही है। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने जिसका कोई खण्डन नहीं किया है। इसलिए उक्त अपील अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवदेन है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट्स ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है।

न्यायालय ने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने उक्त अपील अपीलाधीन आदेश पर इन्तकाल सं0 145 दिः 5.3.2008 के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की है कि चक 12 केवाईडी में मु0नुं0 115/56 के किला नं0 1 ता 12 की 12.00 बीघा भूमि अपीलांट की जरिये बैयनामा मु0आम गुरदेवसिंह से खरीद शुदा है। रेस्पोन्डेट्स ने मिलीभगत करके विरासतन इन्तकाल सं0 145 दिनांक 5.3.2008 दर्ज करवाया है जो कि मेन्टेन योग्य नहीं है। जहां विरासतन इंतकाल का मुद्दा है उसमें यदि बैयनामा पहले से हो रखा है तो दोनों पक्षों को सुनकर विधिसम्मत निर्णय करना न्यायसंगत था। रही बात मुख्त्यारआम व बैयनामा के सही अथवा फर्जी/शून्य होने की उसके लिए न्यायालय हाजा किसीप्रकार से सक्षम नहीं, जहां विवाद हो जाता है और मुख्त्यारआम/बैयनामा सन्देहास्पद हो जाता है तो वहां दोनो पक्षों को गुणावगुण पर सुन लेना आवश्यक व न्यायसंगत होता है।

अतः जब प्रकरण बैयनामा निरस्तीकरण बाबत् सिविल कोर्ट में जैरकार है तो उक्त इंतकाल सं0 145 निरस्त करना न्यायोचित नहीं है क्योंकि इंतकाल तो एक सरसरी तौर पर की गई प्रक्रिया है इससे कोई अधिकार सृजित नहीं हो जाते है। इसलिए बैयनामा/मुख्त्यारआम के सही होने या ना होने संबंध में सक्षम न्यायालय से अंतिम निर्णय नहीं आ जाने तक उक्त इंतकाल को निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इंतकाल निरस्त होने के बावजूद हक–अधिकार का निर्धारण तो बैयनामा/मुख्त्यारआम की सत्यता/वैधता के संबंध में जैरकार प्रकरण में विधि सम्मत अंतिम निर्णय आने पर होना है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)